न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –60/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. शिवप्रसाद पुत्र रामसिंह कौम कढेरा निवासी रूपवास तहसील रूपवास– मृतक
2. ममता पत्नी चन्द्रभान कौम जाटव निवासी बरिघा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा के विरुद्ध बिना आंवटन के दर्ज गैर खातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–
1–पैरोकार सरकार,
2–श्री अशोक कुमार सहना अभि0 अप्रार्थी0 2

निर्णय

दिनांकः– 13.05.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04बीघा किस्म गैर मुमकिन बाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमांबदी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0 खान के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा टीप सम्वत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 में खसरा नम्बर 1266/1.11 बीघा के रूप में रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी बिना किसी आवंटन के हुक्मन खातेदारी से नामान्तकरण 803 दिनांक 31.03. 1973 से जमाबंदी सवंत् 2029–2032 के खाता संख्या 399 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ । विवादित आराजी पर अप्रार्थी का काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन खान वाके ग्राम रूपवास में स्थित है जो कभी भी न तो चारागाह भूमि रही है जो धारा 16 राज0टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमियों में नही आती है और न ही धारा 16 के तहत बाधित है। अप्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी का क्रय किया गया था तभी से उनका कब्जा रहा है तथा मकान निर्माण कर निवास कर रहे है। तहसीलदार की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी मौके पर पक्के मकानात व दुकानात बनी हुई है। जिससे रैफरेन्स काबिल खारिजी है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा बिना नामान्तकरण के विवादित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के क्रमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न014757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपबास की मौका रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है व उक्त रकबा मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर पुख्ता मकान व दुकान बनी हुई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1266 रकबा 1.11 बीघा राजकीय खाते में किस्म गै0मुमकिन दर्ज रिकार्ड तथा जमाबंदी संवत् 2029–2032 के खाता संख्या 399 खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.04 बीघा पर शिवप्रसाद बल्द रामसिंह कौम कढेरा सा0देह गैर खातेदार तथा 2061–2064 में खाता संख्या 322 के खसरा नम्बर 1266 मिन रकबा 0.04 बीघा किस्म गै0मु0 पर शिवप्रसाद पुत्र रामसिंह कौम कढैरा सा0देह खातेदार के स्थान पर जरिये बयनामा नामान्तकरण संख्या 2688 से ममता पत्नि चन्द्रभान कौम जाटव सा0 बरिघा खातेदार हि0 6400/8712 वाकी हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी दर्ज रिकार्ड हुआ है। नामान्तकरण संख्या 803 से जरिये हुक्मन आदेश दिनांक 22.2.1973 से अप्रार्थी संख्या 01 को ख0न01266 रकबा 0.04 बीघा खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न0 14757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तकरण संख्या 803,2688 इत्यादि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 803,2688 इत्यादि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 01 की फौत की सूचना प्राप्त हुई जिसके सबंध में कायम मुकाम की रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट वारिसान की जानकारी नही होने एवं वर्षो पूर्व रूपवास से अन्यत्र स्थान चला जाना दर्शाया गया है। तहसीलदार द्वारा कायम मुकाम की रिपोर्ट में अप्रार्थी के वारिसान के बारे में अनभिज्ञता जताई गई है।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में जनहित याचिका डीबी सिविलि रिट पिटिशन न0 14757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 803 व 2688 को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रैफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। उक्त भूमि कभी राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज नही रही है और न ही भूमि धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में गै0मु0 खान किस्म आती है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"। प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पां होते है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.04.2026 से अवगत कराया है कि" आराजी खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.45 बीघा पर शिवप्रसाद पुत्र रामसिंह हि0 2312/8712 कौम कढेरा सा0देह एवं ममता पत्नि चन्द्रभान हि0 6400/8712 कौम जाटव सा0 बरिघा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त खसरा नम्बर के सम्पूर्ण भाग पर पुख्ता मकान व दुकाने बनी हुई है। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 2061/1266 रकबा 0.04 बीघा बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1266 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।
3. विवादित आराजी की किस्म गै0मु0खान होने के सबंध में राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हो, का उल्लेख नही किया गया है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)